

	June 2017	June 2016
Profit (Net)	979	420
(before tax)	11	(177)
(after tax)	11	(175)
(after dividend)	3	(123)
Other Period (Tax and Other Tax)	4	(121)
Profit of Rs.	1,385	1,385
Loss of Rs.	0.03	(0.88)

पूरा-कायदाक तिथिक एवं तिथिक
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 03575675



इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड

CIN - L74993UP1990PLC015721

पंजी. कार्यालय: 10.5 किमी. हाईलस्टोन, रामपुर-बरेली रोड, रामपुर- 244901

वेबसाइट: www.indiantoners.com, ई-मेल: info@indiantoners.com, फोन नं.: 011-45017000
30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के स्टैंडइएलिन अर्न्केक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

विवरण	समेकित तिमाही	
	30 जून, 2017 (अर्न्केक्षित)	30 जून, 2016 (अर्न्केक्षित)
परिचालन से कुल आय	2172.13	2796.85
अवधि के लिए मुद्रा लाभ / (हानि) (कार एवं साधारण मर्तों से पूर्व)	450.02	621.57
कार से पूर्व अवधि के लिए मुद्रा लाभ / (हानि) (असाधारण मर्तों के बाद)	450.02	621.57
कार तथा असाधारण मर्तों के बाद अवधि के लिए मुद्रा लाभ / (हानि)	357.05	462.17
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कार के बाद)/ लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कार के बाद) से शामिल)	354.27	459.38
दुर्घटना निवार पुंजी	805.89	805.89
अन्य प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)		
क) पूरा	4.43	5.73
ख) तल	2.71	3.51

टिप्पणियाँ:

1. 1 अप्रैल, 2017 से पधारी कम्पनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) अपनाए हैं (संक्रमण तिथि 1 अप्रैल, 2016 है) तथा तदनुसार अर्न्केक्षित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक नियमावली 2015 (चचा-संशोधित) के साथ परीक्षण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड-ए-एस के अनुसार तैयार किया गया है।
2. उपरोक्त अर्न्केक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी के वार्षिक अर्न्केक्षकों द्वारा सौंपित समीक्षा के अधीन थे, ऑडिट कर्मियों द्वारा उसकी समीक्षा की गई तथा 11 सितंबर, 2017 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। वार्षिक अर्न्केक्षकों को समीक्षा रिपोर्ट फोरवार्ड लिमिटेड में दक्षिण की जा रही है।
3. उपरोक्त लेखी (सूचीबद्ध तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दक्षिण की गई 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के अर्न्केक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वार्षिक अर्न्केक्षकों के सौंपित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के अर्न्केक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.indiantoners.com के निदेशक खंड तथा www.bseindia.com के वार्षिक खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।

बोर्ड के अध्यक्ष में
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
(सुपरीम डैन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 00323952

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 11 सितंबर, 2017

format of the Quarterly Financial Result Regulation 33 of the SEBI (Listing Regulations, 2015, for the Quarter said Quarterly Financial Results is India.com and the Company's website

ended June 30, 2016 as reported AS is as follows:

	3 Months ended 30.06.2016 (Not subjected to Limited Review)
benefit plans recognised as	(117) (2) 4 (123) 2 (121)

On behalf of the Board for Precision Electronics Limited
Sd/-
Ashok Kanodia
Managing Director
DIN: 00002563

5. संपत्ति विंडी के लिए अनुपूची में विभिन्न टैट पर की जाएगी, यदि संपत्ति भाग की विंडी की तति संशुद्धि लायक होगी तो शेप के संभव में विंडी को पुनः संचाय कर दिया जाएगा। किसी ऑट के नीचे विनये पर की विंडी संचाय कर दी जाएगी। विंडी कर रहे वधिकारी के संचय प्रयासपर न उल्लिखित बकाया, मात्र मुद्रक (विंडी संचाय संशुद्धि प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संशुद्धि के संचय प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, भाव एवं संचायत अद्योत्तरकारी को प्रस्ताव किए जा चुके हैं।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को परेशर राशि पे आवर / विनाइ ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-4, DRT-II, Delhi खाता RC No. 283/2012" के पत्र में दिल्ली में देययोग हो, अपना पत्र ई एक टी / आर टी की एत द्वारा अधीनस्थित खाता अधिरपन्डल बैंक ऑफ कोमर्स, खाता - इंग्रजी चरवी इंटरप्राइजेस, (Account No. 55621181000238, IFSC Code: ORBC0100633, में जमा कर, उक्त विनाइ ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर या एन ई एक टी / आर टी की एत द्वारा इंग्रजी मुगतन का मूल संचय, च-प्रमाणित पत्रसमा संचय (सिंटर आई की कार्ड / इंग्रिग लाईसेंस / पासपोर्ट) और एन कार्ड की प्रति संचित, जितरतं पत्राधार का पत्रा अधिकित हो, वसुली अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 13.10.2017 को सां 6.00 बजे से पहले जमा करना होगा और परेशर राशि इराजे प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. परेशर राशि यदि विन्यासे के आवर आर सी नं. 283 / 2012 अधिन होना चाहिए और सां में एनईएफटी / आरटीआईएस का संचय और बोलीदाता का पूर्ण पत्रा ई-नेस कार्ड की और मोबाइल न भी अधिन होना चाहिए।
8. बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई-फाइलिंग विंडी प्रक्रिय में भाग लेने से पहले नैतकी विंडी हेतु नियम तथा सती के लिए वेबसाइट www.drt.auctiontender.net देवे तथा /अथवा बी संवय मुपय, प्रुअ-प्रुअक, अडित वसुली प्रकन भावा, अधिरपन्डल बैंक ऑफ कोमर्स, कनेल भाग, नई दिल्ली, फोन नं 011-40045717, 9799961244, ईमेल आइडी: inf.7620@obc.co.in को संचय संचय करने की सलाह दी जाती है।
9. विंडी से संबंधित कोई वधिकारी या अन्य व्यक्ति विनियु के लिए प्रुअय या आवरका एन से संपत्ति को विंडी के लिए अधिग्रहण करना प्रुअय नहीं करेगा।
10. आवरकर अधिनियम 1986 के द्वितीय अनुपूची के सती एवं उसके नियमों के सतत तथा निम्न सती के अनुपूर ही विंडी की जाएगी।
- 10.1 किसी चरुपोषणा के अनुपूची में उल्लिखित विवरण अद्योत्तरकारी के सचोसम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परंतु किसी त्रुटी, प्रुतत भाव अथवा चरुपोषणा में धुक के होने पर अद्योत्तरकारी के द्वारा प्रुतुतर नहीं दिए जाएंगे।
- 10.2 आवरकित मुपय रु. 1,84,00,000/- (रु. एक करोड चौदसी लाख चौबस) के नीचे संपत्ति गरी बेची जाएगी, और परेशर राशि (इंग्रजी) रु. 18,40,000/- (लखार सांय चालीस हजार केवल)
- 10.3 इच्छुक बोलीदाताओं विनियमन अरपी बोली (अधीनस्थ मुपय से कम नहीं) के संचय में दरशावेज धरेते तैन कार्ड, पत्रसमा संचय और पत्र संचय, वसुली अधिकारी-1 बीआरटी-11 दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 13.10.2017 को सां 6.00 बजे से पहले जमा करना होगा ये ही दिनांक 13.10.2017 को सां 11.00 बजे से दोहरा 12.00 बजे तक होने वाली ई-नैतकी में भाग ले सकते हैं। जेती राशि ई-नैतकी संपत्ति हेतु निर्धारित संचय के अधिन 5 मिनिट में प्रुतुत की जाती है तो उक्त संचय में ई-नैतकी बंद होने का संचय 5 मिनिट बाद बंद जायेगा।
- 10.4 बोलीदाता अपना बोली रु. 1,00,000/- (एक एत लाख भांय) के मुपुकों में बंधूएंगे।
- 10.5 आवरकन बोलीदाता अपनी परेशर राशि ई-नैतकी विंडी प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सती संपत्ति अधिकारी-1 बी आर टी-11 दिल्ली / सी एच बैंक अधिरपन्डल बैंक ऑफ कोमर्स से प्राप्त कर सकते हैं।
- 10.6 संचयत / चरुततत बोलीदाता को विंडी मुपय का 25 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी-1 बी आर टी-11 दिल्ली, खाता आर सी नं. 283 / 2012 के पत्र में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन नैतकी बंद होने के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और परेशर राशि को संचयित करने के परेशर व अधिरपन्डल नैतकी के बंद होने से 3 दिनों के भीतर वसुली अधिकारी-1 बी आर टी-11 दिल्ली के कार्यालय में वसुली जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर परेशर राशि जमा कर दी जाएगी।
- 10.7 संचयत / चरुततत बोलीदाता संपत्ति विंडी मुपय का बकाया 75 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी-1 बी आर टी-11 दिल्ली, खाता आर सी नं. 283 / 2012 के पत्र में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा संपत्ति की विंडी की तिथि (उक्त दिन को छोड़कर) से 15 दिन या उरते पहले वसुली अधिकारी-1 बी आर टी-11 दिल्ली के संचय जमा करेगा और यदि 15 दिन संचय या अद्योत्तर होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के परेशर) ऐसा किया जाएगा। एत 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उरते बाद राशि पर 1 प्रतिशत की दर से माउण्डेय फीस का मुगतन संचयत, जकन वसुली अधिकारी-11 दिल्ली के पत्र में जमा कराना होगा (25 प्रतिशत शेप जमा राशि के मामले में यदि पौस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तमात्रा में वसुली अधिकारी सच वसुली जाना चाहिए)
- 10.8 उपरोक्त संचयत में मुगतन या करने या, चरुतत संपत्ति की मुपय विंडी नई चरुपोषणा जारी करे की जाएगी। एत विंडी में धुककर्ता अंश के द्वारा जमा राशि को अद्योत्तरकारी यदि संचय संचयत है तो विंडी के सच संचयत किये जाने के परेशर संचयत खाते में जकन कर ती जायेगी एवं उक्त विंडी में धुककर्ता अंश के उक्त संपत्ति को संचय न या राशि की विंडी भाग के संचय में जकन संचयत अधिकारी जकन ती जायेगी।
11. संपत्ति को "जारी है जैसा है अथवा" पर बेचा जाएगा।
12. यदि कोई बोली या सती बोलीवी अधिकारी पाई जाती है तो वसुली अधिकारी के पास निरा कोई कारण बताए विंडी की बोली को स्वीकार या अधिकार करने या विंडी प्रारुणित या रिक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

(शिव कुमार)
नई दिल्ली

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, चर्च 34, अंक 299, हवाई शुल्क: इंग्रज-पंच रुपय, गुवाहाटी-चार रुपय, रामपुर-दो रुपय और पटना-एक रुपय।
आर. सी. मल्लिक द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, मिता गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजबान फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर साह जकर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: jansatta.noi@expressindia.com, फैक्स: (0120) विवेक गौयनका, कार्याकारी संपादक: मुकेश भास्कराज, "पीआरटी अधिनियम के तहत सचरों के चपन के विनयेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। इतिहास अनुमति लिए बांहर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।